# 1909 का भारत परिषद अधिनियम (The Indian Council Act of 1909)

**For P.G. Sem-3,CC-13**

## 1909 के अधिनियम के तहत विधान परिषदों के कार्य

1909 के भारत परिषद अधिनियम के तहत विधायी परिषदों की शक्तियां करीब वही रही जो 1861 में निर्धारित की गई थी परंतु उनके विचार विनिमय के अधिकारों में वृद्धि की गई। अधिनियम की **धारा 5** में गवर्नर जनरल तथा प्रांतीय सरकारों को अपनी-अपनी विधान परिषदों की बैठक में नियमित सीमाओं के अंदर बजट पर तथा आम जनहित के मामलों पर नियम बनाने की शक्ति दी गई। जो नियम बनाए गए उनसे केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद-विवाद करने, सार्वजनिक हितों के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। हालांकि पूरक प्रश्न वही पूछ सकता था जिसने की मूल प्रश्न किया हो। परिषद का अध्यक्ष किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता था तथा सेना, विदेश नीति, देशी रियासतों आदि विषयों पर कोई प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता था। हाउस ऑफ़

Scanned with CamScanner

लॉर्ड्स में मार्ले ने यह स्पष्ट कर दिया था कि पारित हो जाने के बाद भी ये प्रस्ताव भारत सरकार के लिए सुझाव मात्र ही होंगे।

- मार्ले- मिंटो सुधार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी उसके द्वारा चुनाव को औपचारिक मान्यता परंतु जिस प्रकार से चुनाव के प्रावधान किए गए वहीं उसकी आलोचना के केंद्र बिंदु बन गए। सांप्रदायिकता फैलाने के उद्देश्य से परिषदों में मुसलमानों के लिए उनकी संख्या के अनुपात से ज्यादा सीटें आरक्षित कर दी गई। 27 निर्वाचित सीटों में से 8 मुसलमानों के लिए आरक्षित थी तथा 1910 के चुनाव में सामान्य सीटों में भी 3 पर मुसलमान निर्वाचित हुए थे। मतदाताओं की योग्यता का निर्धारण करते समय भी मुसलमान मतदाताओं की आय हिंदू मतदाताओं की तुलना में पर्याप्त रुप से कम रखे गए थे।
- निर्वाचन प्रक्रिया अप्रत्यक्ष थी अर्थात स्थानीय निकायों से निर्वाचन परिषद का गठन होता था जो प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों का निर्वाचन करती थी। प्रांतीय विधान परिषद के सदस्य केंद्रीय व्यवस्थापिका परिषदों के सदस्यों का चुनाव करते थे।

Scanned with CamScanner

## अधिनियम का मूल्यांकन

1. 1909 के अधिनियम ने सांप्रदायिक अलगाववाद को औपचारिक मान्यता प्रदान कर राष्ट्रीय एकता में दरार डालने की कोशिश की। इस अधिनियम के जरिए मुसलमानों को न केवल पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया अपितु उनकी साम्राज्य के प्रति सेवाओं के लिए उन्हें अपनी संख्या से कहीं अधिक प्रतिनिधित्व दे दिया गया। यह अन्य जातियों के लिए भी हरी झंडी थी ।आगे चलकर 1919 में सिखों ने तथा 1935 के अधिनियम में हरिजनों, भारतीय ईसाईयों, यूरोपीयों, एंग्लो इंडियन को भी पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। अधिनियम द्वारा सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिए जाने के कारण **जवाहरलाल नेहरू** ने इसे कैंसर की संज्ञा देते हुए कहा था, **इसका प्रभाव ठीक उसी प्रकार था, जिस प्रकार कैंसर धीरे-धीरे शरीर के सभी अंगों को नष्ट कर देता है**। **महात्मा गांधी** ने कहा कि **मिंटो मार्ले सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया है**। **के. एम. मुंशी** के अनुसार- **इन्होंने उभरते हुए प्रजातंत्र को जान**

Scanned with CamScanner

**से मार डाला**। वही **<u>लॉर्ड मार्ले ने मिंटो</u>** को इस संदर्भ में लिखा कि- पृथक निर्वाचक मंडल स्थापित करके **हम नाग के दाँत (dragon's teeth) बो रहे और इसका परिणाम भीषण होगा।**

2. लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनकर सीधे विधान परिषदों में भेजने का अधिकार नहीं था। वे अप्रत्यक्ष पद्धति से निर्वाचित होते थे तथा वे लोग जनता के प्रति उत्तरदाई नहीं होते थे।
3. सर्वोच्च विधान परिषद के लिहाज उसमें अभी भी सशक्त शासकीय बहुमत बना हुआ था तथा गैर-सरकारी सदस्यों को अल्पमत में रखा गया, जिससे वे सरकारी निर्णय के विरुद्ध आवाज नहीं उठा सके। दूसरी और प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी बहुमत स्थापित हुआ लेकिन गैर सरकारी सदस्यों के अतिरिक्त मनोनीत सदस्य भी होते थे जो सरकार द्वारा मनोनीत होने के कारण उसी तंत्र का समर्थन करते थे।
4. इस एक्ट के द्वारा न तो प्रांतीय सरकारों पर केंद्रीय सरकार के नियंत्रण को कम किया गया एवं न ही

Scanned with CamScanner

केंद्रीय सरकार पर भारत सचिव एवं उसकी परिषद के नियंत्रण में कोई कमी की गई।

इसके बावजूद कुछ अर्थों में यह अधिनियम प्रगतिशील था। इसने चुनावों को औपचारिक मान्यता दी, विधान परिषदों का विस्तार किया और उन्हें कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां प्रदान की। कार्यकारी परिषदों में भी भारतीय नियुक्त किए जाने लगे तथा भारत सचिव की काउंसिल का दरवाजा भी भारतीयों के लिए खुला जिससे संसदीय शासन व्यवस्था हेतु उन्हें प्रशिक्षण मिला। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मार्ले- मिंटो सुधार, 1861 और 1892 के अधिनियम द्वारा जिस प्रतिनिधि सरकार की स्थापना की शुरुआत की गई थी इसी का विस्तार था। मार्ले और मिंटों उदार तो दिखना चाहते थे लेकिन साम्राज्यवाद के पोषण के लिए अलगाववाद को बढ़ावा देना वे आवश्यक समझते थे।

BY ARUN KUMAR RAI
Asst.Professor
P.G. Dept.of History
Maharaja College,Ara

Scanned with CamScanner